UPET010010832026

न्यायालयः विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) एटा
उपस्थितः शशि भूषण कुमार शांडिल.....एच.जे.एस. जे.ओ. कोड–UP02751
जमानत प्रार्थना पत्र सं०–425 सन् 2026

विशेष उम्र करीब 30 वर्ष पुत्र श्री हरीराम सिंह निवासी नगला नन्दे, थाना कुरावली, जिला मैनपुरी।

.......प्रार्थी/अभियुक्त

प्रति
उत्तर प्रदेश राज्य

धारा–395, 412, 120 बी भा०दं०सं०
व 15 दस्यु उन्मूलन अधिनियम
थाना–मलावन, जिला–एटा
मु०अ०सं०–33/2018
एस.एस.टी.सं०–42/2019

12.03.2026

1– अभियुक्त विशेष की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–33/2018 अन्तर्गत धारा–395, 412, 120 बी भा०दं०सं० व 15 दस्यु उन्मूलन अधिनियम, थाना–मलावन, जिला एटा के अंतर्गत जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में सुमन का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 25–02–18 को वादी जसविन्दर सिंह अपना ट्रक संख्या एच०आर० 55 जी–9241 से गाजियाबाद से मुजफ्फरपुर बिहार परचून का सामान लेकर जा रहा था। समय करीब 8.30 बजे रात को छछैना गाँव से आगे व आसपुर से पहले पहुँचा तो पीछे से एक टाटा सूमो आई और ट्रक के आगे लगा दिया। सूमो से 3–4 व्यक्ति निकलकर आए और कहा कि तूने पीछे एक लड़के का एक्सीडेन्ट किया है। वादी ने मना किया तो वे ट्रक पर चढ़ गये और ट्रक को लेकर चले गये। वादी ने पुलिस को सूचना दी। वादी को सूचना मिली कि उसका ट्रक भोगनीपुर में मिल गया है। वादी वहाँ पहुँचा तो पता चला कि ग्राम अहिरौली थाना भोगनीपुर में अभियुक्त नईम पुत्र युसुफखॉ के मकान के पास ट्रक खड़ा है जिसमें से कुछ माल उतारकर उसी मकान में रखा गया है। जानकारी करने पर पता चला कि रात में नईम व उसका भतीजा मोईन पुत्र मुकीम एवं दो अन्य लोग मिलकर उसके ट्रक को लेकर आए थे। जिसमें से कुछ माल उतारकर नईम ने अपने घर में रख लिया है। वादी व पुलिस ने तलाश किया तो उसकी गाड़ी का सारा माल नईम के घर व गाड़ी में मिल गया। वादी मॉ अन्नपूर्णा ट्रान्सपोर्ट के माध्यम से समस्त माल ट्रक में लदवाकर थाने लाया। मुल्जिमान वादी के दो मोबाइल फोन एक एपल 9999552459 व दूसरा सेमसंग 9650895197 भी ले गये थे।

3– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में यह आधार लिया गया है कि अभियुक्त को गलत तरीके से फंसाया गया है जबकि प्रार्थी/अभियुक्त कतई

Digitally signed by SHASHI BHUSHAN
KUMAR SHANDIL
Date: 2026.03.12 16:16:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

निर्दोष है। प्रार्थी का जमानत प्रार्थनापत्र द्वितीय है। इस जमानत प्रार्थनापत्र के अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी भी न्यायालय से ना ही खारिज हुआ है और ना ही विचाराधीन है। प्रार्थी/अभियुक्त ट्रक ड्राइवर है नियत दिनांक पर गाड़ी लेकर पंजाब चला गया था। इसलिए माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका और ना ही इसकी सूचना अपने अधिवक्ता को दे पाया। जिस कारण माननीय न्यायालय में प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध वारण्ट जारी कर दिये। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है न ही अन्य अपराध में सजायाफ्ता है। उक्त घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। प्रार्थी मुकदमा उपरोक्त में अपनी जमानत देने को तैयार है तथा दौरान विचारण अपनी जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है।

4– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि अभियुक्त द्वारा जमानत का दुरूपयोग किया गया है, जमानत मिलने पर पुनः जमानत का दुरूपयोग करेगा। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5– सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित न आने पर न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध दिनांक 06–08–2022 को गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत किये गये थे। अभियुक्त को प्रार्थनापत्र पर जिला कारागार से दिनांक 06–03–2026 को तलब कर उसका धारा 309 दं०प्र०सं० का वारण्ट बनाकर जिला कारागार प्रेषित किया गया था।

7– अतः प्रकरण के समस्त तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को सशर्त जमानत पर रिहा किये जाने का युक्ति–युक्त आधार है।

8– तद्नुसार अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **विशेष** की ओर से, प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए, उसके द्वारा मुवलिग **बीस हजार रूपये** का व्यक्तिगत बंधपत्र निष्पादित करने एवं इतनी ही धनराशि का एक विश्वसनीय प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्त के अधीन प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये–

1–प्रार्थी/अभियुक्त पुनः किसी अपराध में लिप्त नहीं होगा।

2–प्रार्थी/अभियुक्त प्रश्नगत अन्वेषण/विचारण में अपने स्तर से कोई विलम्ब कारित नहीं करेगा।

3–प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा।

4–प्रार्थी/अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण को न डरायेगा और न धमकायेगा तथा अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ भी नहीं करेगा।

5–प्रार्थी/अभियुक्त आरोप विरचित किये जाने, धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथन अंकित किये जाने एवं निर्णय हेतु नियत तिथियों पर आवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

(शशि भूषण कुमार शांडिल)
विशेष न्यायाधीश(द०प्र०क्षे०)
एटा।